विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक

विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते है। विचार आत्मा है और साहित्य शरीर। विचार अपंग होता है तो साहित्य अन्धा । विचार बीज है तो साहित्य हवा, पानी, खाद, दवा। यदि साहित्य और विचार को एक दूसरे का सहारा न मिले तो अलग अलग रहकर दोनो अपना महत्व खो देते ह।

दोनो के गुण भी बिल्कुल अलग अलग होते है और प्रभाव भी। विचार मख्खन रूपी तत्व होता है तो साहित्य मठा। विचार मष्तिष्क को प्रभावित करता है तो साहित्य ह्दय को। विचार तर्क प्रधान होता है तो साहित्य कला प्रधान। विचारो का प्रभाव बहुत देर से शुरू होता है और देर तक रहता है तो साहित्य का प्रभाव तत्काल होता है और अल्पकालिक होता है।

साहित्य विचारों की कब्र होता है। साहित्य विचारो को कब्र मे पहुचाकर लम्बे समय तक के लिये सुरक्षित रखता है दूसरी ओर साहित्य विचारो को देश काल परिस्थिति के आधार पर होन वाले नये नये संशोधनो से भी दूर कर देता है। विचार व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करता है तो साहित्य भावना का। दोनो का प्रभाव समाज पर अलग अलग होता है।

विचारक चाहे जितना गंभीर निष्कर्ष निकाल ले किन्तु जब तक उसे साहित्य का सहारा नहीं मिलता तब तक वह आगे नही बढ पाता। या तो वह वही पडा पडा सड जाता है या साहित्य से संयोग की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी तरह साहित्य को जब तक विचार न मिले तब तक वह निष्प्राण निष्प्रभावी प्रदर्शन मात्र करता रहता है। साहित्य विहीन साहित्य एक मृत शरीर है जो आत्मा के अभाव मे समाज के लिये घातक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ऐसा साहित्य विचारो के अभाव मे प्रचार से प्रभावित हो जाता है तथा असत्य को ही समाज मे सत्य के समान स्थापित कर देता है। वर्तमान समय मे लगभग यही हो रहा है। यह स्थिति भारत की ही नही है बल्कि सारे विश्व की है।

साहित्यकार और विचारक भी अलग अलग ही होते है। न कोई विचारक साहित्य से शून्य होता है न कोई साहित्यकार विचार से। किन्तु साहित्यकार और विचारक मे कोई एक गुण प्रधान होता है और दूसरा आंशिक । प्रधान गुण ही उसे विचारक या साहित्यकार होन की पहचान दिलाता है। विचारक को अधिकतम सम्मान तथा न्यूनतम सुविधाएं मिलती है जबकि साहित्यकार को सामान्य सम्मान तथा सामान्य सुविधाएं। विचारक आमतौर पर व्यावसायिक मार्ग मे नही जा पाता जबकि साहित्यकार आम तौर पर व्यावसायिक दिशा मे बढता है। विचारक का मुख्य लक्ष्य सामाजिक होता है और व्यक्तिगत ' या पारिवारिक सहायक लक्ष्य। साहित्यकार का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है और सामाजिक लक्ष्य सहायक । विचार कई प्रकार के होते है जिनमे सामाजिक राजनैतिक धार्मिक आदि है। साहित्यकार भी कई तरह के है जिनमे नाटककार, कलाकार, साहित्यकार , कथाकार आदि होते है। कथाकार भी विचारक न होकर साहित्यकार की ही श्रेणी मे होते है क्योकि कथाकार आम तौर पर कला का उपयोग करते है। जो भी व्यक्ति काल्पनिक कहानी को सत्य के समान स्थापित करे वह विचारक नही हो सकता। जो भी व्यक्ति श्रोताओ को जनहित की जगह जनप्रिय भाषा का उपयोग करके मोहित कर ले वह विचारक नही हो सकता। कलाकार नाटककार, साहित्यकार आदि से तो समाज मे भ्रम नहीं फैलता किन्तु कथाकारो से कुछ भ्रम फैलता है।

गांधी एक विचारक थे जिनके निष्कर्षो को अनेक कलाकारों साहित्यकारो कवियों नाटककारो ने समाज मे दूर दूर तक पहुचाया। जय प्रकाश, अन्ना हजारे आदि को भी हम ऐसे मौलिक चिन्तक के रूप मे गिन सकते हैं । राम मनोहर लोहिया, मधुलिमये, दीनदयाल उपाध्याय, अटल विहारी वाजपेयी आदि को भी हम आंशिक रूप से इस लाइन मे जोड सकते है। यद्यपि इनमे मौलिक विचार के साथ साथ कुछ कुछ साहित्यिक क्षमता भी थी । अन्य भी अनेक लोग विचारक के रूप मे रहे किन्तु उन्हे साहित्यकारों कलाकारो का सहारा नही मिलने से वे अप्रकाशित हो रहे। धीरे धीरे स्थिति यह आई कि मौलिक चिन्तन का अभाव हुआ और साहित्यकारो कलाकारो की बाढ आनी शुरू हुई। साहित्यकार कलाकार कथाकार नाटककार ही स्वयं को विचारक घोषित करने लगे और समाज भी उन्हे विचारक मानने की भूल करने लगा। इन सबमे मौलिक चिन्तन करने और निष्कर्ष निकालने की तो क्षमता थी नही और कला के माध्यम से विचार समाज तक पहुंचाना इनकी मजबूरी थी। अतः वास्तविक विचार ओर विचारको के अभाव मे इन सबने राजनेताओ के ही विचारो और निष्कर्षो को अपनी कला के माध्यम से समाज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। कितनी बचकाना बात है कि राजनेताओ ने दहेज, आबादी वृद्धि, महिला अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, मंहगाई जैसे अस्तित्वहीन, अप्राथमिक अथवा अल्प प्राथमिक मुद्दो को सर्वोच्च प्राथमिक बोल दिया और साहित्यकारो कलाकारो ने पूरी इमानदारी से इन मुद्दो को समाज के सामने सर्वाच्च प्राथमिकता के रूप मे स्थापित कर दिया। आज देश के किसी अच्छे से अच्छे स्थापित विचारक की भी हिम्मत नही कि वह इन विषयो पर अपने अलग विचार रख सके। यहां तक कि वित मंत्री चिदम्बरम, गृहमंत्री शिन्दे या स्वयं प्रधानमंत्री भी इन मुद्दो पर आंशिक यथार्थ भी बोल दे तो पूरा देश एकदम से ऐसी बातों के खिलाफ उबल उठता है। ये सारे असत्य सत्य के समान स्थापित हो गये है और यदि किसी गंभीर विचारक ने चपटी सिद्ध पृथ्वी को गोल कहने का दुस्साहस किया तो या तो उसे स्थापना के पहले फांसी पर चढने को तैयार रहना होगा या अपना निष्कर्ष बदलने को मजबूर होना पडेगा। कलाकारो साहित्यकारो की इस जमात को इसके बदले मे राजनेता या सरकारे विभिन्न पुरस्कार तथ अलंकरण देकर पुरस्कृत सम्मानित तथा उपकृत भी करते रहती है। दोनो का अपना अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है और विचारक का विचार किसी कोने मे पडा आंसू बहाता रहता है।

विचार तो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। न तो विचार कभी प्रतिबद्ध हो सकता है न होता है। वैसे तो साहित्यकार भी नैतिक रूप मे स्वतंत्र ही होता है और यदि कोई कवि या लेखक प्रतिबद्ध हो तो वह चारण या भाट तो कहा जा सकता है किन्तु साहित्यकार नहीं। किन्तु आज साहित्कार तो प्रतिबद्ध दिखने ही लगे है। और चूंकि विचारकों के अभाव मे साहित्यकार ही विचारक बन रहे है, इसलिये प्रतिबद्धता विचारको तक को निगल गई है। प्रतिबद्धता की बीमारी वामपंथ से शुरू हुई। वामपंथियों ने अपनी आवश्यकतानुसार लेखक, साहित्कार, कवि, नाटककार तैयार किये, बढाया , स्थापित किया तथा उपयोग किया। प्रगतिशील लेखक संघ आदि के नाम से ऐसे ही प्रतिबद्ध संगठन खडे किये गये जो हमेशा हमेशा के लिये गुलाम होते हुए भी स्वयं को स्वतंत्र कहते रहे। इन सबके संगठन बने जो एक दूसरे के साथ जुडकर काम करते रहे। ऐसे प्रतिबद्ध साहित्य के बढते प्रभाव की सफलता से आंतकित संघ परिवार ने भी अपने प्रतिबद्ध साहित्यकार बनाना शुरू किया किन्तु बाद मे। आज वामपंथी प्रतिबद्ध साहित्य समाज मे मजबूत तो है किन्तु उसे संघ साहित्य से भी कडी चुनौती मिल रही है।

मीडिया और साहित्य का भी चोली दामन का संबंध होता है। मीडिया समाज का सूचना तंत्र भी होता है तथा साहित्य का संवाहक भी। मीडिया भी आमतौर पर स्वतंत्र होता है और मीडिया की इसी स्वतंत्रता ने उसे लोकतंत्र का चौथा स्तभं कहना शुरू किया। मीडिया आज भी प्रतिबद्धता की बीमारी से तो कुछ कुछ बचा हुआ है। प्रगतिशील मीडिया अथवा संघ का मीडिया जैसे आरोप नही के बराबर है किन्तु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनते बनते मीडिया भी वास्तव मे चौथा स्तंभ ही बन बैठा है। पेड न्यूज अथवा जिंदल प्रकरण कोई विशेष बात न होकर आम बात हो गई है। मीडिया का व्यावसायिक होना उसकी मजबूरी भी है। जब समाज सेवा के बोर्ड लगातार एन जी ओ व्यावसायिक हो सकते है , राजनीति व्यावसायिक हो सकती है तो मीडिया बच कैसे सकता है क्योकि मीडिया का कार्य तो वैसे ही अर्ध व्यावसायिक होने से उसे आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। जब राजनीति और समाज सेवा जैसे अव्यावसायिक क्षेत्र ही व्यावसायिक हो गये तो मीडिया को कैसे दोष दे सकत हैं।

ये पेड न्यूज अथवा जस्टिस काठजू की चिन्ताएं उचित होते हुए भी अनावश्यक हैं जब तक समाज सेवा और राजनीति का व्यवसायीकरण नही रूकता तब तक मीडिया को दोष देना ठीक नही क्योकि वह तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।

साहित्य, मीडिया, कला, राजनीति, समाज सेवा आदि की प्रतिबद्धता व्यावसायिक होने के साथ साथ विकृत भी हुई किन्तु विचारक और विचार इस बीमारी से अछूते रहे। बाबा रामदेव , आशाराम बापू सरीखे लोग आज भी विचारक नही माने जाते। किन्तु विचारो की स्वतत्रता पर एक नया संकट स्पष्ट दिख रहा है कि आजकल स्वतंत्र विचारो से भावनाएं भडकने का गंदा खेल शुरू हो गया है। आज किसी विचारक की हिम्मत नहीं कि वह अपने स्वतंत्र विचार लीक से हटकर व्यकत भी कर सके। मुस्लिम संगठन राजठाकरे , बालठाकरे , संघ परिवार आदि तो दिन रात ऐसे अवसरो की तलाश मे रहते ही थे किन्तु अब तो महिला संगठन आदिवासी संगठन दलित संगठन आदि भी इस मैदान मे कूद पडे है। बेचारे आशीष नंदी की दुर्गति ने तो अच्छे अच्छे स्वतंत्र विचारको के रोंगटे खडे कर दिये है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकारो से तो खतरा हमेशा ही रहा है किन्तु अब तो संगठित गुण्डो से भी उसे खतरा बढता जा रहा है। मैने पश्चिम के देशो मे तो सुना था कि किसी ने लीक से हटकर कुछ कह दिया तो उसे फांसी दे दी गई अथवा आज भी इस्लामिक देशों मे तो यह व्यवस्था है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नही हैं किन्तु भारत मे तो ऐसी स्थिति पिछले कुछ वर्षो से ही दिख रही है। यदि इस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शन और धरनो के बल पर गुलाम बनाने का क्रम चला तो भारत मे भी स्वतंत्र विचार बिल्कुल समाप्त हो जायेगें । साहित्य कला , मीडिया, राजनीति आदि की विश्वसनीयता तो संदिग्ध हो ही चुकी ह किन्तु विचार, जो इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे तो संगठित समूहो के आक्रमणो से बचाये रखना आवश्यक है।

वैसे पूरी तरह निराश होना भी ठीक नहीं। अभी बम्बई की दो सामान्य मुसलमान लडकियों की अभिव्यक्ति के विरूद्ध किये गये शिव सैनिक व्यवहार को मुंह की खानी पडी। वह वैचारिक स्वतंत्रता के प्रति जन भावना की चिन्ता को भी व्यक्त करती है। स्वतंत्र विचारको को हिम्मत रखने की जरूरत है। भले ही साहित्य अपनी स्वतंत्रता खो दे किन्तु विचार अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करता रहेगा क्योकि यदि विचार अपनी स्वतंत्रता को बचाने मे सफल रहा तो साहित्य उसका साथ दे सकता है और तब स्वतंत्र साहित्य तथा स्वतंत्र विचार मिलकर समाज के बीच बढते अंधेरे को घटाने मे सहायक हो सकते है। यदि साहित्य प्रतिबद्ध गुलाम या भयभीत हुआ तो आंशिक क्षति है , यदि राजनीति हुई तो कुछ विशेष क्षति है, यदि समाज सेवा हुई तो अपूर्णनीय क्षति है किन्तु यदि विचार ही प्रतिबद्ध , गुलाम, व्यावसायिक या भयग्रस्त हुआ तो बचा ही क्या । आइये और विचार अभिब्यक्ति पर आये संकट का सामना करने को सब एकजुट हो जावे।

महिला सशक्तिकरण, एक घातक कानून

पिछले दिनों भारत की संसद ने एक और काला कानून पास करके समाज पर थोप दिया जिसमें सहमत सेक्स की उम्र सोलह से बढ़ाकर अठारह कर दी गई। आश्चर्य ही हुआ कि तथा कथित धार्मिक समूह इस्लामिक संगठन, संघ परिवार तथा बाबा रामदेव तक ने इस काले कानून के प्रति समर्थन व्यक्त किया जबकि कांग्रेस, साम्यवादी, समाजवादी आदि दुविधा में रहे। मैंने शरद यादव, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद आदि को संसद में स्पष्ट रूप से कहते सुना कि यह कानून समाज में अनेक विसंगतियां पैदा करेगा। सब प्रकार की शंकाएँ प्रकट करने के बाद भी ये सब अन्त में इस कानून का समर्थन करते दिखे क्योंकि यह कानन महिला और पुरूष के बीच टकराव बढ़ाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितना ही यह वर्गसंघर्ष बढ़ेगा उतना ही समाज कमजोर होगा और राजनेता मजबूत होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनेताओं के हित में है।

मैंने इस विषय पर बहुत सोचा कि संघ इस संबंध में क्यों आगे आया। मैंने संघ के अनेक साधारण कार्यकर्ताओं से चर्चा की तो सबका मानना था कि विवाह की उम्र या सेक्स संबंधी कोई भी कानून का हस्तक्षेप ठीक नहीं। यह पारिवारिक सामाजिक विषय है और कानून का दखल घातक होगा। इसके बाद भी भाजपा संघ नेतृत्व ने यह उल्टी लाइन क्यों पकड़ी। मुझे तो ऐसा लगा और मैंने कई बार लिखा भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव सोलह से बढ़ाकर अठारह का रहा होता तो संघ भाजपा वाले सोलह के पक्ष में हो जाते। दुनिया के अनेक देशों में यह उम्र सीमा अब भी चौदह है। भारत में प्राचीन काल मे यह उम्र सीमा बारह वर्ष की थी । बलात्कार को छोडकर किसी अन्य मामले मे राजा या सरकार का हस्ताक्षेप नहीं था। जबकि उस काल खंड में बन्द समाज व्यवस्था होने से विवाहेतर सेक्स को बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय माना जाता था। आज परिस्थितियां उस समय से ठीक विपरीत ह। अब विवाहेतर संबंध उतना संवेदनशील नहीं माना जाता। स्वाभाविक है कि छेड़छाड़ या बलात्कार जैसे मामलों की भी आपराधिक गंभीरता बंद समाज की अपेक्षा खुले समाज व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम ही होगी। ऐसे परिवर्तित वातावरण में मुठी भर आधुनिक महिलाओं द्वारा गिरोह बनाकर इस तरह ब्लैक मेल करना और राजनेताओं द्वारा इस तरह ब्लैकमेल होना एक खतरे का संकेत है। व्यक्ति के व्यक्तिगत, परिवार के पारिवारिक और समाज के सामाजिक मामलों में कानून का हस्तक्षेप या तो नहीं होना चाहिये या विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिये। यदि कानून इन इकाइयों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो ये इकाइयां टूटती जायेंगी या कमजोर होती जायेगी जैसा कि अभी हो रहा है। राजनेताओं को पारिवारिक, सामाजिक सशक्तिकरण से विशेष खतरा होता है। इसीलिये ये इन्हें कमजोर करने के उद्देश्य से इनको आंतरिक संरचना में कानूनों को घुसाने की योजनाएँ बनाते रहते हैं जिसकी शुरूआत में इनके दलाल पहले जन्तर मन्तर पर महिला सशक्तिकरण, जैसे नारे लगाते हैं और ये लोग इन नारों की आड़ में कानूनों का प्रवेश कराते हैं। आज धीरे धीरे हम खुली समाज व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे वातावरण में यदि सरकार बारह न करती तो उसे कम से कम चौदह की उम्र अवश्य करनी थी किन्तु आश्चर्य है कि नासमझ भाजपा और संघ परिवार ने सोलह को अठारह करा दिया।

बचकाना तर्क है कि विवाह की उम्र अठारह तो विवाहेतर सेक्स की उम्र सोलह क्यो? यही तो प्रश्न मेरा है कि जब सेक्स की उम्र सोलह तो विवाह की अठारह क्यों? विवाह की उम्र घटाने की मांग करनी चाहिये थी न कि सेक्स की उम्र बढ़ाने की।जब भूख सोलह मे लगती थी तो भोजन चौदह मे प्राप्त हो जाता था। अब नये सामाजिक वातावरण मे भूख चौदह मे लगगी तो भोजन अठारह मे मिलेगा पता नही संघ और भाजपा वाले इस संबंध मे क्या सोचते है । हम कांग्रेस अथवा किसी अन्य दल से यह प्रश्न नही कर सकते क्योकि संघ और भाजपा तो अपने को सामाजिक कहने का दम भरते रहते है। यह कानून बनाकर संसद ने एक बहुत ही हानिकारक भूल की है जिसके दूरगामी हानिकर परिणाम होंगे। परिवार व्यवस्था कमजोर होगी। पुलिस, न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ेगा। बलात्कार की घटनाएँ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। दंड की मात्रा को देखते हुए बलात्कार के साथ हत्या के अपराध भी बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि ऐसे ही नासमझ लोगों ने जब मकान किराया कानून बनाया था तो उसके दुष्परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। ऐसे ही नासमझ लोगों ने दहेज विरोधी कानून भी बनाया था जो अब भी एक समस्या बना हुआ है। अब यह महिला उत्पीड़न विधेयक भी उतनी ही या उससे भी ज्यादा तेजी से समस्याएँ बढ़ायेगा। जितनी जल्दी संघ को यह बात समझ मे आ जाए उतनी ही जल्दी इस प्रकार के हानिकारक कानूनो मे संशोधन संभव है और यदि संघ न समझे तो उचित होगा कि समाज ही संध को समझ ले।

1 श्री छबील सिंह सिसोदिया, व्यवस्था परिवर्तन मंच

विचार – मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय को चिट्ठी लिखी है कि भारत के न्यायालयों की संख्या आबादी के अनुसार पूर्ण नही है। इसलिये नयायिक निर्णय की विलम्बता स अपराधी को प्रोत्साहन मिला है तथा निर्दोष को निराशा का अंधेरा। आबादी के अनुपात मे न्यायिक निर्णय के लिये 35000 न्यायालयो की आवश्यकता बताई गई है जबकि केवल 14000 न्यायालय ही कार्य कर रहे है।

1935 मे गुलाम भारतीयो के शोषण एंव उत्पीडन के लिये बनाए गये कानूनो से लोकतंत्र के नाम की भारतीय व्यवस्था चलाई जा रही है, जो असंवैधानिक एंव असामाजिक है। समाजहित मे ऐसी व्यवस्था मे परिवर्तन करना अनिवार्य समझते हुए भी भ्रष्टाचार व अपराध मे राजनीतिक दलो की लिप्तता का भय व्यवस्था परिवर्तन का नाम सुनने तक की स्वीकृति नही करते।

सभी राजनीतिक दलो की केन्द्र व राज्य सरकारे समाज को जाति धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर खंडित कर सत्ता मे बने रहने तक सीमित हो गई है।

अपराध व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना शासन का दायित्व है। सुरक्षा एंव न्याय शासन की प्राथमिकता मे होना चाहिये। इस पर पक्ष विपक्ष का गुप्त समझौता दिखता है कि सुरक्षा और न्याय मे इनकी कोई रूचि नही । सांसद व विधायक निधि के मिलने से विपक्ष लुप्त होता गया है।

सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण विकास के नाम पर देश की जनता का अकूत असंख्य करोड रूपये का धन राजनेताओ द्वारा एंव अधिकारियो द्वारा लूटा जा रहा है।

सांसद अपना मनमाना वेतन बढा लेते है और जनता से वसूलते है।सांसद सदन मे सारा माईक तोड दे और माइक का पैसा जनता से वसूलेगे किन्तु जनता के किसी व्यक्ति से सडक किनारे लगो टयूब लाइट टूट जाय तो कोर्ट मे परेशान कर उससे वसूलेगे।

संसद के अन्दर का वह अपराध न्यायालय की परिधि से बाहर रहेगा? इसे संसद व विधायिका की तानाशाही समझा जाये या संविधान से ही दी गई विशेष छूट?

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारे कितनी ही बार असंवैधानिक बील एंव अध्यादेश पास करने का दुस्साहस करती है। न्यायलय मे चुनौती देने पर न्यायालय से ही जनता को राहत की सांस मिलती है।

देश की जनता न्यायालय के साहस से निष्पक्ष लिये गये ऐतिहासिक निर्णय की कृतज्ञ है एंव न्यायालय मे आस्थावान है।

अप्रेल 2011 से जुलाई 2012 तक अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये जन लोकपाल की मांग की। सरकार झूठा आश्वासन देकर देश की जनता को आज तक गुमराह कर रही है।

दिल्ली मे इंजीनियर छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध मे 16 दिसम्बर 2012 को ऐतिहासिक प्रदर्शन मे सख्त सजा की मांग पर जस्टिस वर्मा ने दिल्ली पुलिस सुधारो को लागु करने मेसरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

सर्वोच्च न्यायालय की खिचाई पर दिल्ली पुलिस मे सुधार की कुछ सम्भावना दिख सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन बलात्कार विरोधी प्रदर्शनकारी एंव किसान मजदूर की मांग पर प्रदर्शन कारियों को अंग्रेजो की तरह लाठी डंडा व गोली का दमनात्मक रवैया अपनाएं है।

हरियाना के पूर्व मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला को 13 वर्ष वाद सी बी आई ने गिरफतार कर जेल भेजा व सजा सुनाई गई। यह न्याय की विलम्बता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व पूर्व मुख्य मंत्री मायावती आय से अधिक सम्पत्ति के घोटाले मे अनेको वर्षो से स्पष्ट निर्णय से वंचित है तथा यही हाल विहार के पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले मे है। न्याय की विलम्बता से अपराध को बढावा मिला है ।

माननीय, व्यवस्था परिवर्तन मंच राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान मे सत्ता क केन्द्रीयकरण को समाप्त कर अकेन्द्रीयकरण करके लोक स्वराज्य की स्थापना के लिये देश मे जनजागरण के लिये कार्यरत है। ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपराध को बढावा न मिले, निर्दोष निराशा के अंधेरे मे न रहे, आवश्यकता न्यायालयो की स्थापना के लिये एंव पुलिस सुधारो के लिये केन्द्र सरकार व राज्य सरकारो को न्याय एंव सुरक्षा की दृष्टि से चेतावनी दी जाय। एक वर्ष की निश्चित अवधि मे समय पर न्याय मिल सके। ताकि सुरक्षा एंव न्याय के अभाव से विवश होकर व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की सोच मे आत्महत्या करने के लिये विवश न होना पडे। आपके साहसिक एंव निष्पक्ष निर्णयों के लिये जनता की तरफ से बार बार बधाई है।

उत्तर – आपने लिखा है कि न्याय में विलम्ब का कारण न्यायालयों की कमी है। मैं इससे सहमत नहीं। सारे देश में सरकार से विभिन्न विषयों पर खर्च बढाने और टैक्स घटाने वालों की बाढ़ आई हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, सड़क, पुलिस, महिला सुरक्षा पर बजट बढ़ाने की मांग करना एक फैशन बन गया है। दूसरी ओर वही लोग बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, खाद आदि पर से टैक्स घटाने की भी साथ साथ हो मांग करते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की मांगों में कोई गंभीरता है। आपकी न्यायालय बढ़ाने की मांग भी वैसी ही है। न्यायालय बढ़ाना ऐसी समस्या का समाधान नहीं है। त्वरित न्यायालय की मांग भी बेमानी है। सच्चाई यह है कि अनावश्यक कानून ही हटा दिये जाव तो अपने आप पुलिस और न्यायालयों में सक्रियता दिखने लगेगी। यदि आप अठारह वर्ष से कम के सहमत सेक्स को बलात्कार मानना शुरू कर देंगे अथवा आप तम्बाकू खाने खरीदने बेचने को अपराध के साथ जोड़ लिया तो आप देश का सारा धन भी पुलिस और न्यायालया पर खच कर दें किन्तु त्वरित न्याय संभव नहीं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्तमान कुल सेशन्स ट्रायल मुकदमों में से सिर्फ दस प्रतिशत ही आपराधिक प्रकरण हैं। शेष सभी मुकदमें अनावश्यक हैं। यदि आपने न्यायालय और पुलिस को आदेश दिया कि सेशन्स कोर्ट पहल आपराधिक मुकदमों का ही निपटारा करेंगे। अन्य मुकदमों का नम्बर बाद में आयेगा। मैं नहीं समझता कि त्वरित न्याय में कोई कठिनाई आयेगी। अठारह वर्ष पहले एक व्यक्ति के घर म अपना खरीदकर रखा हुआ एक सौ दस किलो चावल जप्त हुआ था। चावल न राशन का था न चोरी का। उस समय के कानून के अनुसार कोई व्यक्ति एक सौ किलो से ज्यादा चावल नहीं रख सकता था। सेशन कोर्ट अठारह वर्ष से लगातार सक्रिय है। मैं नहीं समझता कि ऐसे ऐसे केश समाप्त क्यों न कर दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ सार्थक पहल की है किन्तु व्यापक स्तर पर छटनी नहीं हो रही। मेरे विचार में छटनी मुकदमों की न करके कानूनों की करना ज्यादा ठीक रहेगा। न्याय का अर्थ सामाजिक न्याय नहीं होता। सामाजिक न्याय तो समाज ही दे सकता है। सामाजिक न्याय देना सरकार का स्वैच्छिक कर्तव्य है किन्तु किसी रूप से दायित्व नहीं। आशा है कि आप इस सुझाव की भी समीक्षा करेंगे।

2 मोहम्मद आकिल, एम. ए.

विचार – मैंने हिन्दू मुहल्ले में मकान किराये पर लेने की कई बार कोशिश की किन्तु हर बार किसी न किसी बहाने मुझे टरका दिया गया। धीरे धीरे हिन्दू और मुसलमान के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है। पहले इनमें छुआछूत तो थी किन्तु दिलों में फर्क नहीं था। अब छुआछूत तो खतम हुई किन्तु दिलों का फर्क बहुत बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है। यह फर्क पुरानी पीढ़ी के लोगों में कम तथा नई पीढ़ी के लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है।

इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजों के आने के पहले हिन्दू मुसलमान घुल मिल कर रहने के आदी हो गये थे। कहीं कोई टकराव नहीं था। किन्तु अंग्रेजों ने इन दोनों के बीच फूट डाली। अंग्रेज इतिहास कारों ने भी सच्चाई को छुपाकर ऐसा इतिहास लिखा जिसने दोनों के बीच टकराव बढ़ाया। ऐसे अर्ध सत्य इतिहास ने मुसलमानो मे अकड का भाव बढाया तो हिन्छुओ मे आक्रोश का। हिन्दू और मुसलमान वास्तव मे भाई भाई है किन्तु अंग्रेजो की फूट डालो नीति ने दोनो को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनो को चाहिये कि आपसी टकराव छोडे तथा मिलजुल कर रहे।

उत्तर – हिन्दू और मुसलमान व्यक्तिगत ब्यवहार मे तो प्रेम से रह सकते है किन्तु सामाजिक व्यवहार मे संभव नहीं। आतंकवादी हिन्दू और मुसलमान तो इन दोनो के टकराने का उसी तरह लाभ उठाना चाहते है जिस तरह बिल्लियो के बीच बंदर। मै ऐसे आतंकवादी समूहो की चर्चा नही कर रहा। मै तो चर्चा कर रहाहूँ शान्तिप्रिय हिन्दू मुसलमानो के आपसी अन्तर की। पंचान्नवे प्रतिशत शान्तिप्रिय मुसलमान भी समाज से उपर धर्म को मानता है जबकि अधिकाश हिन्दू धर्म से उपर समाज मानता है। नब्बे प्रतिशत मुसलमान न्याय की अपेक्षा अपनत्व को अधिक महत्वपूर्ण मानता है जबकि संघ परिवार को छोडकर शेष हिन्दू अपनत्व की अपेक्षा न्याय को अधिक महत्व देता है। शान्तिप्रिय मुसलमान भी कही न कही धर्म को संगठन के साथ जोडकर देखता है। जबकि हिन्दुओ मे संध परिवार को छोडकर अन्य लोग ऐसा नही देखते । आज भी मुस्लिम देश व्यक्ति के मौलिक अधिकार को स्वीकार नही करते जबकि हिन्दू इसे स्वीकार करता है। भारत का मुसलमान भी धर्म परिवर्तन के विरूद्ध नही है। जबकि संघ परिवार के अलावा पूरा हिन्दू धर्म परिवर्तन पर एक पक्षीय रोक को मानता है।

हिन्दू मुसलमान के बीच टकराव के मूलभूत कारण है जो सिर्फ मुसलमानो द्वारा ही पैदा किये गये है तथा वही इसमे सुधार भी कर सकते है–

1. भारत के मुसलमान समान नागरिक संहिता के पक्ष मे बोलना शुरू करें
2. भारत के मुसलमान पाकिस्तान के इश निंदा कानून की खुलकर आलोचना करें
3. भारत के मुसलमान धर्म और समाज के बीच समाज सर्वोच्च की आदत डाले
4. भारत के मुसलमान धर्मतक सीमित रहें । धर्म को संगठन न बनावे
5. भारत के मुसलमान धर्म परिवर्तन कराने के प्रयासो का खुलकर विरोध करे।

आप यदि सामुहिक रूप से ऐसा नही कर सकते तो व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा कर सकते है। भारत म अकेला रामुजगंज ऐसा शहर है जहां मुस्लिम आबादी बारह प्रतिशत है किन्तु दोनो के बीच सम्पूण्र भाईचारा है। संघ परिवार ने चाहे जितना भी जोर लगाया किन्तु वह इस एकता का इसलिये नही तोड पाया क्योकि यहां का मुसलमान उपरोक्त पांच बातों को स्वीकार करता है। आपने जो लेख लिखा है उसमे मुसलमानो के लिये कोई इमानदार समझाइश नही है। हिन्दू स्वतंत्रता पूर्व के दीवार मे चुनवाये दो बच्चो के इतिहास को पुरानी बात कहकर भूल सकता है किन्तु पाकिस्तान मे ईश निंदा के लिये दी जाने वाली फांसी या हत्या को नहीं भूल सकता जो आज भी जारी है। काश्मीर के मुसलमान शेष भारत के हिन्दुओ को ऐसा कौन सा संदेश दे रहे है जो हमे इस टकराव के भूलने मे मदद करें। मै उन हिन्दुओ मे नही जो उपर उपर हिन्दू मुस्लिम एकता की बात करे और अन्दर अन्दर कुछ अलग करे। भारत के जिस भूभाग पर मुसलमान बहुमत मे है उसका आचरण मुझे प्रभावित तो करता ही है। भारत का मुसलमान किस सीमा तक उनके आचरण को गलत मानता है वह विश्वास हाने का कोई लक्षण भारत के मुसलमानों मे दिख नही रहा और यदि गुजरात मे दिख भी रहा है तो वह नरेन्द्र मोदी के कारण न कि सोच समझकर।

आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन है कि आप मुसलमानो को उपरोक्त बातो के लिये तैयार करिये और मै हिन्दुओ को तैयार करू। जबतक आपस मे विश्वास का भाव पैदा नही होगा जिसको पहल मुसलमानो का ही करनी होगी, तबतक परिस्थितियो मे बदलाव संभव नही । मुसलमान अल्प संख्यक रहा है और हिन्दू बहुसंख्यक। इसके बाद भी मुसलमानो ने तलवार के बल पर भारत पर लम्बे समय तक शासन किया। यदि अंग्रेजो ने आकर पिण्ड न छुडाया होता तो पता नही स्वतंत्रता की लडाई किसके साथ होती। अब भारत स्वतंत्र है। हिन्दू बहुसंख्यक है। इसके बाद भी हिन्दू समान नागरिक संहिता की बात करें और मुसलमान विरोध करे और आप दोनो को समझाइस दे कि दोनो मिलजुल कर रहे तो यह बात एक पक्षीय लगती है।

3 श्री एम एस सिंगला अजमेर राजस्थान

प्रश्न– ज्ञान तत्व 261 मे शरीफ का घर ...' मार्मिक शीर्षक से बलात्कार के ज्वलन्त प्रश्न पर बहुत जोर से उत्तेजक सराहनीय चिन्तनीय विचार पढे।

आप भी मानते रहे है कि आज की शासकीय व्यवस्था मे समाज को कोई स्थान नही दिया गया है। इसके विपरीत देखने मे आ रहा है कि जहां समाज हावी है वहां शासन पस्त है। उदाहरण है खाप पंचायते।

हर सामाजिक कृत्य को कानून मे बांधना चिमटे से आग की लौ को पकडने जैसा है।इस बात को समझते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत मे सामाजिकता पर कानून नही बनाया । सती प्रथा के विरूद्ध कानून की देन भारतीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय की रही।

देश के नेता जब वास्तव मे कुछ नहो कर पाते तो कानून बनाने की कवायद मे लगे रहते है।

सन 2006 मे वेश्यालय जाने को अपराध घोषित करने का कानून बनाना था । विरोध के कारण वह रूक गया । अब उसी हथियार को फिर गढन मे लगने का मन हे। इससे अनेक प्रश्न उभरते है। यथा

क. क्या यह बलात्कार के प्रति कोई उपाय होगा या कि इससे बलात्कार को बढावा मिलेगा?

ख. वेश्यालय जाने को अपराध घोषित करने की बजाय वेश्यालय क्यो न बन्द किये जाय।

ग. दूसरी ओर सैक्स वर्कर अपने व्यवसाय को कानूनी मान्यता देने को मांग कर चुकी है। शासन उसका जबाब क्यो नही देता?

घ. समलैगिकता, लिव इन रिलेशनशिप जैसी गतिविधियो को सरकार मान्यता देती है। इससे क्या अर्थ निकलता है? शायद सरकार अपने को वह भगवान मानती है कि मानव भावनाओ की भी वही नियंत्रक है।

च. असफल प्रयास को दुबारा पेश करना कितना लोकतांन्त्रिक है? यह हिन्दु विवाह अधिनियम जैसे डुबानेवाला कदम नही होगा क्या?

छ. इस सब से क्या यह सन्देश नही जाता लगता है कि सरकार अपराध पर तो अंकुश लगा नही पाती तो जन भावनाओ पर ही अंकुश लगाओ।

देश के पहले प्रधान मंत्री ज0 लाल नेहरू ने सत्ता मे आते ही पहले हिन्दू विवाह अधिनियम पास करा कर देश की गिरावट का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह एक अजुबा ही है कि अकेले राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद इसके विरोध मे रहे। शेष सारी जनता प्रधानमंत्री के पक्ष मे कैस हुई ।आज न्यायपालिका भी इस अधिनियम को गलत मानती है। आपका यह विचार सही और मूल्यवान है कि दो प्रतिशत आधुनिक महिलाएं भारत की शेष महिलाओ का प्रतिनिधित्व कर लेती है। क्योकि उनके पास मंच है, ख्याति है राजनेताओ से साठ गांठ है।
आपने लिखा है, फांसी किसी समस्या का समाधान न होकर .... भय पैदा करने का तरीका मात्र है। और यही भय अपराध रोकने का सशक्त साधन/कारण रहा है। और रहेगा।

उत्तर–मै सेक्स संबंध दो व्यक्तियो के बीच का व्यक्तिगत संबंध मानता हूॅ जिसमे परिवार और समाज अपने आंतरिक नियम बना सकते है किन्तु सरकार कोई हस्तक्षेप नही कर सकती। परिवार और समाज व्यक्ति को अनुशासित तो कर सकते है किन्तु शासित नही। वैश्यालय बन्द कराने का सिर्फ एक ही आधार है कि आप या तो स्वयं वहां जाना बन्द कर दे या परिवार और समाज का भय आपको जाने से रोक दे। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रयास होगा तो वह समाज के लिये ज्यादा हानिकर होगा। समलैगिकता या लिव इन रिलेशनशिप को सरकार कभी मान्यता नहीं देती। सरकार ने इन बुराइयों को रोकने के हस्तक्षेप से स्वयं को अलग करके इसे सामाजिक बुराई मान लिया है। एक तरफ तो आप मानते है कि सामाजिक मामलो मे सरकार को हस्तक्षेप न करके उन्हे समाज के जिम्मे छोड देना चाहिये। यदि सरकार छोड रहो है तो आप उस पर प्रश्न कर रहे है। सरकार ने स्वयं को हस्तक्षेप मुक्त कर लिया तो इसमे भगवान या नियंत्रक जैसे सवाल कहां से पैदा हो गये।

आपने बहुत ही संतुलित चिट्ठी लिखी है। जब सरकार ने लिव इन रिलेशन शिप अथवा समलैगिकता जैसे असामाजिक कार्यो से स्वयं को अलग करके समाज पर छोडने की पहल की तो आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव सरीखे अनेक नासमझ धर्म गुरू भी सरकार के खिलाफ टूट पडे । सच बात यह है कि चाहे वैश्यालय हो या समलैंगिकता अथवा लिव इन रिलेशन शिप अथवा बाल विवाह, सभी सामाजिक पारिवारिक नियंत्रण से अनुशासित करने की सीमा मे आते है न कि कानून के द्वारा रोकने की सीमा मे। ये सभी कार्य अनैतिक है, असामाजिक है किन्तु अपराध नही । इन्हे समझा बुझाकर या सामाजिक भय द्वारा ही राका जा सकता है न कि दण्डित कर के। अभी अभी जब सरकार ने अठारह की उम्र को घटाकर सोलह करने की शुरूआत की तो आपने देखा होगा कि कटटर पंथी मुसलमान तो सरकार के विरोध मे आये ही कट्टर पंथी हिन्दू भी जिनका नेतृत्व संघ ने किया वे भी सरकार के विरोध मे आ गये। अच्छा हो कि आप संध परिवार को भी यह समझाने की कृपा करे कि वह समाज और सरकार के बीच अंतर करना सीखे। हर मामले मे कुछ भी बोलना कोई अच्छी आदत नही है।

4 श्री राजेन्द्र विश्वकर्मा पुरैनी विजनौर उत्तर प्रदश

प्रश्न–' आप छत्तीसगढ के उस जिले के है जहां नक्सलवाद रहा है । एक ओर तो स्पष्ट है कि नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है किन्तु दूसरी ओर यह भी दिखता है कि नक्सलवाद एक समाधान भी है। इस संबंध मे आपका क्या विचारहै।

उत्तर– नक्सलवाद सिर्फ समस्या ही नही है बल्कि एक बडी समस्या है। पंद्रह वर्ष पहले मै भी नक्सलवाद को गलत तरीके से किया गया समाधान मानता था किन्तु जब नक्सलवाद आया तब पता चला कि नक्सलवाद सिर्फ सत्ता संघर्ष तक सीमित है। इतना ही नहीं यदि भारत सरकार या प्रदेश सरकारे उस क्षेत्र मे व्याप्त समस्याओ का समाधान करना चाहे तो नक्सलवादी उसे इसलिये नही होने देते कि यह तो उस क्षेत्र मे नक्सलवाद का प्रभाव कम कर देगा। नक्सलवादी कभी यह नही बताते कि उनकी व्यवस्था मे लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही । लगभग पैतालीस वर्ष पूर्व मैने एक नाटक लिखा और दिखाया था कि तीन लोग पैदल जा रहे है। एक व्यक्ति के पास गठरी सात किला की है तो दूसरे के पास दा किलो की और तीसरे के पास शून्य । गठरी पर लिखा है अधिकार । तीसरा व्यक्ति दो किलो वाले से कहता है कि हम तीनो अपनी अपनी गठरी एक साथ इकठ्ठी करके बाद मे बराबर कर लेंगे। छोटी गठरी वाला सहमत है । बडी वाला असहमत होते हुए भी मजबूर है। तीसरे व्यक्ति क पास गठरी इकठ्ठी होती है और वह यह कहकर लेकर चल देता है कि तुम दोनो तो बराबर हो गये । अब तुम्हारे पास अधिकार नही कि तुम मुझसे कोई सवाल करो। प्रश्न उठता है कि ऐसा प्रयास समस्या है या समाधान। क्रान्तिकारियो ने किसी भी रूप मे सत्ता के लिये संघर्ष नही किया था। नक्सलवाद के संस्थापक कानू सान्याल ने भी जब नक्सलवाद को लीक से हटते देखा तो विरोध किया । नक्सलवादियो ने अस्वीकार कर दिया तो उन्होने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या व्यक्तिगत टकराव न होकर नीतिगत टकराव था। इसलिये मै नक्सलवाद मे समाधान की न नीति देखता हूॅ न नीयत।
यदि नक्सलवादी शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात समझाते तब मै उनकी गलत होते हुए भी उनको गंभीर समस्या के रूप मे नही देखता। किन्तु यदि लक्ष्य भी गलत है और मार्ग भी गलत है तो उनके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नही हो सकती है। सच बात तो यह है कि भारत मे स्वामी अग्निवेष दिग्विजय सिंह सरीखे लोग ही हमारी प्रमख़ समस्या बने हुए है जो सामाजिक कपडे पहनकर इन आतंकवादियो की ढाल बन जाया करते है।

5 अंशुमाली दीक्षित पीलीभीत उत्तर प्रदेश

कुछ आशंकाएं आपकी प्रश्नोत्तर शेली से प्रभावित होकर भेज रहा हूॅ , अन्यथा न लेकर समाधान देने की कृपा करे। कश्मीर मे धारा 370, मुस्लिम पर्सनल ला और राम मंदिर निर्माण मुद्दो के सहारे केन्द तक पहुंचने वाली भाजपा द्वारा सत्ता मिलने के बाद गठबन्धन, धर्म, निर्वहन के नाम पर मूल भूत सूत्रो को त्याग कर जो धोखा किया उसका प्रति उत्तर जनता ने यू पी ए सरकार बना कर दिया । क्योकि तुमम और काग्रेस मे क्या अंतर है।

महाराष्ट मे शिवसेना से गलवहिया डाले भाजपा को राज ठाकरे द्वारा मराठा मानुष के अतिरिक्त प्रान्तो के मुम्बई मे रहने वालो का निष्कासन (उत्पीडन) कौन सा राष्ट्रवाद है?
हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार अमृतलाल नागर द्वारा लिखित मानस का हंस म तुलसी दास की जीवनी मे फैजाबाद के राम टोला पर निर्मित सीता रसोई मीर वाकी द्वारा हनुमान जी के कोप से बचने का लिये बनाई गई। जिसे समतलीकरण के नाम से तत्कालीन भाजपा मुख्य मंत्री की शह पर तोड दिया गया , अन्य पचास से अधिक मंदिर नष्ट कर दिये गये और बजरंग दल देखता रहा। यह कैसा हिन्दुत्व है कि बना तो कुछ भी नही पाया वरन बना हुआ तोड दिया।

राम लला हम आयेगे। मंदिर वही बनाएंगे फिर रामलला हम आये है मन्दिर यही बनाएगें जैसे गगन भेदी नारे लगाने वाले भाजपा के नेतागढ तो कोठियो मे रहते हैं और रामलला फटे तिरपाल मे। कैसी राम भक्ति है?

खालिस्तान आन्दोलन मे सुरक्षा वलो द्वारा मारे गये आतंकियो को शहीदी का दर्जा देकर उनके वंशजो को सरोपा भेट करने वाले अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब मे सरकार चलाने वाली भाजपा अखंड भारत का सपना देखने और दिखाने वाली भाजपा क्या परोक्षतः खालिस्तान का समर्थन नही कर रही है। कैसे राष्ट्रवाद है?

आपरेशन ब्लू स्टार की परिणति स्वरूप सिख अंगरक्षको द्वारा इन्दिरा गांधी की हत्या पर दुखी न होकर जो देश की एकता अखंडता के लिये कुर्बानीथी को भाजपा शायद उचित मानती है। अखंड भारत कैसे रहेगा? विचारणीय है।

आतंकवाद के समय बसो तक से उतार कर हिन्दुओ को खालिस्तान समथक मार रहे थे और हिन्दू असहाय थे। परन्तु आज भाजपा के लोग चौरासी के दंगो पर तीस साल बाद अब भी धडियाली आंसू बहने लगते है यह राष्ट्रवाद की किस परिभाषा मे है?

मुस्लिम तुष्टीकरण का जब तब राग अलापने वाली भाजपा क्या मुस्लिमो का साथ नही रखती । शहनवाज और अब्बास नकवी क्या है। राम रथ यात्रा मे दो रथ थे जिनमे एक रथ का चालक सलीम था। आजादी सें पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा दिये तर्क कि भारत मे मुस्लिम अल्प संख्यक है और आजादी के बाद उसे हिन्दुओ से खतरा होगा पर स्वतंत्रता संग्राम के नेता गणो द्वारा सुरक्षा का लिखित दिये गये आश्वासन का निर्वहन क्या तुष्टीकरण है। अपने पूर्ववतियों के वचनो का निर्वाह क्या पाप है?

भाजपा मानसिकता के लोग कहते है कि जब हिन्दू मुस्लिम रूप मे भारत का वटवारा हुआ तो सभी मुस्लिम क्यो नही भेजे गये तो सभी हिन्दू तो पाकिस्तान से भी नही आये क्योकि जिन्ना भारत जैसा ही धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान बनाना चाहते थे । तानाशाहो ने मुस्लिम राष्ट बनाया। दूसरे भारत को आजादी मे क्या मुस्लिमो का योगदान नही था। जिसे शायद राहत इन्दौरी कहते है। हमारा खून भी शामिल वतन की मिटटी मे। किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड ही है। भलेही अल्पास सत्य है परन्तु है तो अवश्य ही । क्या इतिहास को झुटलाया जा सकता है?

जब सिख आतंक मुस्लिम आतंक आदि कहा जा सकता है तो हिन्दू आतंक गृहमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाना क्या पाप हो गया? अथवा हिन्दू राष्ट्र शब्द क्या भाजपा ने पटेन्ट करा लिया गया है अथवा उपरोक्तानुसार जब हिन्दुओ पर अत्याचार होता है तब इनका हिन्दुत्व क्यो नही जगता अथवा छदम नीति को ही राजनीति मानने वाली भाजपा झूठ को इतनी वार बोलो कि सच लगे, का यह सब कौन सा राष्ट्रवाद है। आदि बाते आप जैसा मनीषी अधिक सच्चाई और गहराई से जानता है। और हमारे जैसा को सत्य बताने मे सक्षम है। इस आशा एंव विश्वास के साथ आशंकाए प्रेषित है।

उत्तर — आपने जो प्रश्न उठाये हैं वो सब सही हैं किन्तु आप यह भूल रहे हैं कि भाजपा एक राजनैतिक दल है, सामाजिक संस्था नहीं। आचरण की जो कसौटी किसी सामाजिक संस्था की होती है उसकी अपेक्षा राजनैतिक दल की बहुत कम होती है। सामाजिक संगठन की अपेक्षा किसी सन्यासी की कसौटी और भी कठोर होती है। भाजपा प्रारंभ से ही जानती थी कि सत्ता में आने के पूर्व उसने जो जो नारे लगाय हैं उनम से बहुत कम ही पूरे करने संभव हैं। यदि भाजपा बहुमत में होती तब भी नहीं। मिली जुली सरकार में तो ऐसा सोचना भी संभव नहीं।

पाकिस्तान स्वतंत्रता के बाद आंशिक रूप से उस राह पर चला जिस पर चलने का उसने वादा किया था। परिणाम आपके सामने है कि साठ वर्षो में ही पाकिस्तान आंतरिक रूप से बिखरने लगा। टकराव और विरोध पर यदि लम्बे समय तक चला गया तो आन्तरिक स्थिति भी कमजोर होगी और वैश्यिक प्रतिष्ठा भी जायेगी। मेरे विचार में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने जो नीति बदली वह स्वाभाविक थी। गलती भाजपा ने नहीं की बल्कि संघ ने की है। भाजपा की घोषणाएँ सत्ता संघर्ष तक सीमित थीं। संघ के कार्यकर्ता आमतौर पर चरित्रवान भी होते हैं और सच बोलने वाले भी। वे जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि संघ ने भाजपा पर जोर डाला कि वह धारा तीन सौ सत्तर, रामजन्मभूमि तथा मुस्लिम पसनल ला वचन पूरा करें जो करना भाजपा के लिये न तो उचित था न संभव। संघ ने इसके लिये जितना ज्यादा जोर डाला उतनी ही ज्यादा भाजपा सरकार अस्थिर होती गई। सरकार ने संघ की बात को अन्तिम रूप से अस्वीकार किया तो संघ ने भाजपा सरकार से ही अपना प्रेम घटा लिया। संघ एक उग्रवादी विचारों का संगठन है। साम्यवाद का तो पतन हो चुका है। इस्लाम भी धीरे धीरे संकट की दिशा में बढ़ रहा है। संघ को भाजपा बचाये हुए हैं अन्यथा संघ भी इस्लाम की ही तरह बदनाम हो जाता और होना शुरू भो हो चुका है।

एक सिद्धान्त है कि पुत्र भी यदि बालिग हो जाये तो उसके साथ भाई के समान व्यवहार करना चाहिये। संघ यह बात समझता ही नहीं। संघ भाजपा के लोगों से उच्च आदर्शवादी चरित्र की अपेक्षा करता है जो राजनीति में संभव नहीं। संघ को अपनी नीतियां बदलनी चाहिय और भाजपा को स्वतंत्र छोड़कर स्वयं को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये।

आपने सिख समस्या पर भी टिप्पणी की है। सच बात यह है कि सिख भी उसी प्रकार समाज के लिये एक समस्या है जिस प्रकार इस्लाम साम्यवाद अथवा संघ परिवार । वर्तमान समय मे तीनो का न किसी विचार धारा से संबंध है न धर्म से । तीनो संगठन बनाकर सत्ता के साथ खेल खेल रहे है। आपरेशन ब्लू स्टार लम्बे समय से सिखो की मनमानी की धैर्य टूटने वाली प्रतिक्रिया के रूप मे सामने आया था। किसी क्रिया क रूप मे नही । गुजरात के दंगे भी इसी प्रकार धैर्य टूटने वाली प्रतिक्रिया के रूप मे थे। न मुसलमानो ने कुछ सीखा न ही सिखो ने । फिर धीरे धीरे ये लोग उसी दिशा मे जा रहे है। भारतीय जनता पार्टी कोई साफ मार्ग पकड ही नही पाती है क्योकि एक तरफ तो वह राजनैतिक दल है तो दूसरी तरफ वह संघ के प्रभाव मे सामाजिक संगठन भी बनने का ढोग करती रहती है। वास्तव म सिख संघ इस्लाम साम्यवाद आदि का चरित्र चिन्तन संगठन कार्य प्रणाली लगभग एक समान ही है। इन सब के साथ समान रूप से ही व्यवहार करना पडेगा। यदि इन सबमे अलग अलग मान कर सोचा गया तो कोई मार्ग नही निकल पायेगा। या तो भाजपा को संघ से दूरी बनाकर स्वतंत्र राजनैतिक लाइन पकडनी पडेगी अथवा संघ को भाजपा से दूरी बनाकर स्वतंत्र सामाजिक लाइन पकडनी होगी अथवा दोनो को एक दूसरे से दूरी बनाकर अलग अलग राह पर चलना पडेगा अन्यथा दोनो डूबेंगे।

6 श्री गोपाल शर्मा धीरज , बम्बई

प्रश्न — आपने ज्ञानतत्व के अन्त में एक वाक्य लिखा है कि हमारा संविधान रूपी भगवान संसद की जेल में बन्द है। उसे जेल से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये।

मेरे विचार में आपने भारतीय संविधान को भगवान लिखकर भारी भूल की है। यह संविधान तो अंग्रेजों ने अपने हित में बनाया था। साठ वर्षों में उस संविधान के परिणाम भी हम देख चुके हैं। ऐसे रद्दी संविधान को आपने भगवान जैसा उच्च पद कैसे दे दिया यह समझ में नहीं आया। कृपया सुधार करें।

उत्तर – किसी भी इकाई का एक निश्चित संविधान होता है जिसके अनुसार ही उस इकाई की व्यवस्था होती है। उक्त इकाई ही संविधान बनाती है और उक्त संविधान का पालन भी करती है। उक्त सम्पूर्ण इकाई को ही संविधान में संशोधन के भी अधिकार होते हैं। कोई बाहर की इकाई उस इकाई को संविधान संशोधन की सलाह दे सकती है, मदद कर सकती है किन्तु बाध्य नहीं कर सकती। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। प्रत्येक इकाई का कोई न कोई संविधान तो होता ही है चाहे वह इकाई व्यक्ति हो या समूह। चाहे वह इकाई तानाशाह ही क्यों न हो।

जब संविधान बनाने वाली इकाई अलग हो और पालन करने वाली अलग तो ऐसी पालन करने वाली इकाई को गुलाम कहते हैं। संविधान कभी समाप्त नहीं होता। यदि संविधान बदलता है तो उसकी जगह कोई अन्य संविधान आ जाता हैं । जब तक संविधान के साथ कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ता तब तक संविधान का अर्थ बहुत व्यापक होता है। संविधान में से यदि संविधान को निकाल दिया जाये तब भी बचा हुआ भाग संविधान ही होता है और यदि संविधान में व्यापक विचार जोड़ दिया जाये तब भी वह संविधान ही रहता है।

मैंने संविधान को भगवान लिखा है उसका आशय उस संविधान की पुस्तक से नहीं है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के कुछ नेताओं ने लिखी। अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से एक कमेटी बनाई जिसमें जनता की कोई राय नहीं ली गई। उस कमेटी ने अंग्रेजों का ध्यान रखकर एक संविधान बना दिया। न संविधान बनने में समाज की कभी कोई भूमिका रही न बनने के बाद कभी राय ली गई। यहॉ तक कि संविधान संशोधन तक में, जनता की कभी राय नहीं ली गई। पता नहीं यह कैसा लोकतंत्र है। जिस संविधान में संशोधन परिवर्तन के अन्तिम अधिकार संसद के पास हों वह संविधान कैद में ही मानना चाहिये। आज जो संविधान लागू है उसमें किसी तरह से संशोधन के अधिकार हमारे पास नहीं हैं। इसीलिये मैंने लिखा कि हमारा भगवान रूपी संविधान संसद रूपी जेलखाने में कैद है। संसद उसमें मनमाने संशोधन करती है और हम पर थोपती रहती है। हमारा भगवान जब जेल से मुक्त होगा तक वह हमारा वास्तविक भगवान होगा क्योंकि तब हम आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करने को स्वतंत्र होंगे। यदि मेरे लिखने में कोई भाषा संबंधी त्रुटि हो तो आप सलाह देने की कृपा करें। भावनाऍं तो मेरी आपकी एक हो हैं।

सूचना

इक्कीस सितम्बर बारह के बाद मैंने सम्पूर्ण व्यवस्था आप सबको समर्पित कर दी है। मैंने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यय भी शून्य कर दिया है। वैसे तो पहले भी सम्पूर्ण व्यवस्था में खर्च आप सबका ही था किन्तु सितम्बर के बाद तो इस आय व्यय से मेरा कोई संबंध ही नहीं है।

दो तीन बातें बतानी उचित है।

(1) आंदोलन अन्ना की विफलता के बाद लगता है कि दो हजार चौदह के बाद जो नये समीकरण बनेंगे उसमें आपकी अर्थात व्यवस्थापक संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस कार्य के लिये चार अलग अलग समूह सक्रिय हैं (क) ज्ञानक्रान्ति परिवार जो विचार मंथन तक सीमित है (ख) नयी समाज रचना जो रामानुजगंज को केन्द्र बनाकर एक शहर तथा एक सौ तीस गांवों में मॉडल समाज की दिशा में प्रयत्नशील है। (ग) लाक स्वराज्य मंच जो लोक संसद के नाम पर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहा है (घ) ज्ञान केन्द्र जो रामानुजगंज क्षेत्र में कुछ बच्चों के ज्ञान विस्तार का प्रयास करेगा।

(2) मैंने अपने जीवन में कभी चन्दा न मांगा न लिया। हमारी संस्था अब तक अपंजीकृत है। हम किसी भी सरकारी, स्वदेशी या विदेशी संस्था से कोई धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं लिये हैं और न लेने की इच्छा है। मेरा बचपन से ही मत रहा है कि चंदे की आदत ने दान की प्रवृत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चंदा एक प्रकार का व्यवसाय बन गया है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय बनाकर जो कार्य किया उसका दुरूपयोग अब खुलेआम देखा जा सकता है कि हर समाज तोड़क संगठन भी मालवीय जी का ही उदाहरण देता है। मैंने कभी न चन्दा लिया न दिया। मैं दान की प्रवृत्ति का पक्षधर हूँ।

(3) मुझे अपने सामाजिक जीवन में कभी आर्थिक कठिनाई नहीं आई। पैसे की हमेशा जरूरत बनी रही और समाज ने बिना मांगे वह जरूरत पूरी की। आज भी इतने बड़े काम में कभी किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता न रही न है। सब समाज पूरा कर रहा है।

(4) इक्कीस सितम्बर के बाद आय व्यय का हिसाब भी पूरा संगठन के पास ही है जो पारदर्शी है।

(5) मेरे बाद भी यह पूरा कार्य बिना किसी चन्दे के स्वाभाविक रूप से चलता रहे इस के लिये तीन प्रकार की सदस्यता की व्यवस्था की गई है :–

क. सहायक सदस्य :– जो एक सौ रूपया वार्षिक या एक हजार रूपया आजीवन देंगे।

ख. संरक्षक सदस्य :– जो एक हजार रूपया वार्षिक या दस हजार रूपया आजीवन देंगे।

ग. ट्रस्टी सदस्य :– जो दस हजार रूपया वार्षिक या एक लाख रूपया आजीवन देंगे।

किसी भो व्यक्ति को सदस्य बनने हेतु प्रेरित नहीं किया जायेगा क्योंकि हम दान की प्रवृत्ति का विस्तार चाहते हैं। ज्ञानतत्व पाक्षिक भी स्वैच्छिक शुल्क पर चल रही है। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर तीस चालीस वर्षों से स्वैच्छिक शुल्क पर पत्रिका का चलना स्वयं प्रमाण है कि समाज म न धन का अभाव है न दान दाताओं का। सितम्बर के बाद इन दान दाताओं की भूमिका व्यवस्थित तथा पारदर्शी की जा रही है उतना ही बदलाव है।

विशेष सूचना

कई साथियों के पत्र प्राप्त हुए कि वे कुछ दान राशि भेजना चाहते हैं। माध्यम क्या हो? (1) स्पष्ट है कि आप बजरंग मुनि या बजरंग लाल अग्रवाल के नाम से बनारस चौक अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, 497001 पर मनिआर्डर कर सकते हैं। (2) आप अपने स्थानीय प्रमुख को नगद देकर भी रशीद ले सकते हैं। रशीद का हेडिंग व्यवस्थापक के नाम से है। (3) आप बजरंग लाल अग्रवाल के नाम से चेक भी भेज सकते हैं। बजरंग मुनि के नाम से बैंक खाता नहीं होने से दिक्कत होती है। (4) आप मेरे बैंक खाता नं. 11374646729 पर डाल सकते हैं। खाता स्टेट बैंक रामानुजगंज का है जो बजरंगलाल अग्रवाल के नाम से है।

(2) ज्ञान तत्व पाक्षिक के पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण हमें आपका स्थायी क्रमांक बदलना पड़ा है। अब आप पत्र व्यवहार में नया स्थायी क्रमांक उपयोग करें तो अच्छा होगा।

उत्तरार्ध

आचार्य पंकज व्यवस्था परिवर्तन मंच

भारत के फुटकर व्यापार में एफ0डी0आई0की स्वीकृति

भारत के फुटकर व्यापार में कार्यरत अमेरिकी कंम्पनी 'वालमार्ट'ब्रिटिश ईस्ट इडिया कम्पनी से भी ज्यादा खतरनाक भूमिका अदा कर रही है। 5दिसम्बर 2012 को लोकसभा और 7दिसम्बर 2012 को राज्यसभा के मतदान के दौरान जिस प्रकार 'अल्पमत'बहुमत में और 'बहुमत 'अल्पमत में बदल गया ,वह भारत के लिये 23जून 1757 को प्लासी के युद्ध में हुई हार से भी ज्यादा खतरनाक है।

इस मतदान के पहले 'दोंनो सदनो 'में 18 पार्टियों का भाषण हुआ था,जो भारत के बहुब्राण्ड फुटकर व्यापार में एफ0डी0आई0(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)के प्रवेश के विरोध में बोले थे। 'अल्पमत 'उन चार पार्टियों का था, जो प्रवेश की स्वीकृति देने के पक्षमें थे।दूसरे शब्दों मे पार्टियॉ बहुमत में थी जो एफ0डी0आई0का विरोध कर रही थी । भारत की जनता के बीच बार–बार जनसभाओं मे अनेक बार भाषणों ,घोषणाओं और परचों द्वारा उन्होंनें स्पष्ट कर दिया था। खुद दोनो सदनो में एफ0डी0आई0के विरोध में ये पार्टिया खुलेआम बोल रही थी ,किन्तु जब मतदान हुआ तो एफ0डी0आई0 के पक्ष में या तों मतदान का बहिष्कार किया गया खुलम खुल्ला मतदान किया गया। यह देश के साथ –साथ जनता के साथ अबतक का सबसे बड़ा विश्वासघात था। इतनी बड़ी दूरगामो योजना ,तैयारी और उसके पीछे छिपी इतनी बड़ी साजिश 'मीरजाफर 'की गद्दारी के बाद पहली बार देखो गयी है। इस विश्वासघात और इस धोखा का 'पर्दाफाश 'किया जाना चाहिए । ये सारी पार्टिया –जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है और 'पहचान बचाओं 'की राजनीति के नाम पर चुनाव लड़ती है। इसमें सपा –बसपा दोनों शामिल है।

जहॉ तक कॉग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठजोंडों का सवाल है तो उन्ह तो संसद में'अल्पमत को बहुमत''बहुमत को अल्पमत 'में बदलने में पूरी महारत हासिल है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने 2004 में अपने घोषणा पत्र में फुटकर क्षेत्र में एफ0डी0 आई0 लाने का विरोध किया था तथा भाजपा ने 2004 के अपने घोषणा पत्र मे फुटकर क्षेत्र मे एफ डी आई लाने की घोषणा की थो। आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है जहॉ अब 2012 में काग्रेस और उसके सहयोगी दल फटकर व्यापार के क्षेत्र में एफ0डी0आई0 लाने की साजिश कर रहें है तब भाजपा एफ0डी0आई0का विरोध कर रही है। दोंनो की अवसरवादिता परस्पर विरोधी रुपों में स्थानान्तरित हो गई है। उन्होनें 1993 में 'अविश्वास प्रस्ताव 'को 'झारखंड घुसखोर प्रकरण'के जरिये पराजित किया था। रिश्वतखोरी पकड़ी गई और उसके लिये 'शिबू सोरेन 'को दंण्ड भी दिया गया था। फिर दुसरी बार 2008 में 'कैश फार वोट'घोटाला कांड ने इसे पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया था। यह सब कैसे हुआ था? इसमें अमेरिकी कंपनी वालमार्ट की क्या भूमिका थी?यह जाच पडताल का विषय है। इसके पहले अमेरिका की कारगिल और इनरान कंपनी भी यही सब कर चुकी थी। जहॉ 'नाम चोम्सकी' और 'वाल्टर लिव मैन 'ने जहॉ सहमति गठन का सिद्दान्त स्थापित किया था ,वहॉ वालमार्ट ने अल्पमत को बहुमत में बदलने का सिद्धात स्थापित किया है। विश्व पूंजीवाद की मंदी से बढ़ता जा रहा बाजार संकट–पूॅजी मनाफे के बिना जिन्दा नहीं रह सकता है। सितम्बर 2008से घोषित 'मंदी 'अभी तक चालू है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिये मुनाफे बढ़ाने का अवसर कमकर दिया हैं। विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान हैं कि 2013–14 में यूरोपियन अर्थव्यवस्था के 27 देंशो में वृद्धि दर 'शन्य'बनी रहेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किल से 1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करायेगी।यदि जापानी पूॅजीवाद का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर क सवाल पर तनाव जारी रहा तो उसकी विकास दर भी शून्य से कम हो जायेगी। इन परिस्थितियों में आथिक विस्तारवाद क्या करें? वह जानता है कि मंदी का कारण बाजार का अभाव या बाजार का संकट है।

मंदी के कारण आंन्तरिक बाजार काफी नही हैं, बाहरी बाजार का संकट हल करने का दो ही रास्ता है–या तो विश्व युद्ध के जरिये दूसरे पूॅजीवादी देशों के बाजार पर कब्जा जमाया जाय या तीसरी दुनिया के पिछड़े देशों के छोटे –छोटे बाजारो पर सीधे कब्जा जमाकर उन पर एकाधिकार कायम किया जाय। इससे स्पष्ट हों जाता है कि–अमेरिकी विस्तारवाद के 'शान्ति के लिये नोबेल पुरस्कार विजेता 'राष्ट्रपति 'ओबामा ने क्यों वालमार्ट को हथियार बनाकर भारत के पॉच करोड़ छोटे व्यापारियों के बाजार पर अपना कब्जा करना चाहते है। जिन पर बीस करोंड़ आबादी अपनी जीविका के लिये निर्भर है। एशिया ,अफ्रीका ,और लैटिन अमेरिका के देशों के फुटकर बाजार पर कब्जा जमान से राष्ट्रीय मुक्ति युद्धों की ' शुरुआत भी हो सकती है। 'पूॅजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण का दौर दो रास्तों से ही पूरा होगा। या तो समाजवादी क्रान्ति पूॅजीवाद का नाश करेगी या पूॅजीवाद युद्धं के जरिये अपने बाजार की समस्या का समाधान खोजेगा और इसी पूॅजीवादो युद्धों से समाजवादी क्रान्तियों का दरवाजा खुलेगा। भारत के फुटकर बाजार परकब्जा जमाने के लिये अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किये गये 'वालमार्ट 'घोटाला काण्ड के हथियार का अध्ययन करना आवश्यक है।

(1)सबसे पहले अमेरिकी विस्तारवाद ने भारत को अपना 'नव उपनिवेश 'बनाने के लिये चारों ओर से अपने नौसैनिक घेर में ले लिया है। तीन तरफ से अमेरिको सेनायें भारत को समुद्र की ओर से घेरे हुये है। पश्चिम में अरब सागर से अमेरिकी नौ–सैनिक बेंड़ा मौजूद है। पूरब में सिंगापुर में अमेरिकी सेना का सॉतवा बेड़ा मौजूद है और दक्षिण के 'हिन्द महासागर'में डियेागार्शिया द्वीप पर अमेरिका अड्डा बनाये हुये है, ताकि भारत की चौतरफा अमेरिकी घेरे बन्दी कायम रहे।

भारत के शासक वर्ग का प्रचार है कि दक्षिण एशिया में अमेरिकी उपस्थिति का स्वागत चीन की घेरे बंदी के लिये किया जा रहा है, किन्तु वास्तविकता यह है कि अमेरिका भारत की चौतरफा घेरे बन्दी पहले से कर चुका है।भारत की चौतरफा अमेरिकी घेरे बन्दी टूटने नही पाये ,इसके लिये अमेरिका भारत–चीन सम्बन्धों को सुधरने नही देता।

(2)अमेरिकी विस्तारवाद किसी न किसी बहाने साजिश कर भारत के सात पडोसी देशों से भारत क सम्बन्ध बिगड़ता जा रहा है। ताकि भारत को अमेरिका अपनी मुट्ठी में ले सके ।

नपाल भारत से दूर होता जा रहा है,भारत पहले राजा का सर्मथन करता था फिर नेपाली कांग्रेस का सर्मथन करने लगा अब नेपाल में मध्देशिया लोगों का समर्थन कर रहा है।

भूटान भारत सरकार की इच्छा के विपरित संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा–परिषद की सदस्यता कं लिये चुनाव लड़ गया था। वर्मा को भारत 'स्वीडेन द्वारा दिया गया हथियार'बेच रहा है। और चीन पर आरोप है कि वह वर्मा को हथियार बेच रहा है। भारतीय अखबारों में जब यह समाचार छपा तों तहलका मच गया। बंगला देश भारत पर पदमा नदी के पानी के लिये निर्भर है,किन्तु भारत ने ममता बनर्जी के दबाव में काई कारगर सन्धि नही होने दिया है। जम्मू कश्मीर के सवाल पर भारत का पाकिस्तान से विवाद है। लिट्टे को सर्मथन कर भारत ने श्रीलंका सरकार से झगड़ा मोल ले लिया था। मालद्वीप के हवाई अड्डा के निर्माण और संचालन के सवाल पर भी भारत का मालद्वीप सरकार से नही पट रही है।

इसी संदर्भ में अमेरिकी अखबार लिखते है कि चीन दक्षिण एशिया के सातों देशों को भारत के विरुदध भड़का रहा है तथा भारत विरोधी मोतियों की माला तैयार कर रहा है जबकि चीन की यह मोतियों की माला भारत के विरूद्ध नही, अमेरिका के विरूद्ध है।

(3)भारत की आंतरिक राजनिति में एक ओर जातिवादी –सम्प्रदायिकतावादी चेतना की शक्तियों को उभार कर उत्साहित किया जा रहा है ,पूरे देशें में हजारों –हजार बाबाओ, संतो, महंतो, मौलवियो, पादरियों और शंकराचार्यो को प्रचार अभियान में खुली छूट दी गई है। हर दिन जाति–र्धम अधारित पार्टिया बनायी जा रही है। इसके लिये रिश्वत और कालाधन का भरपूर प्रयोग किया जा हा है।

(4)मीडिया–प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक दोनो को पूरी तरह से खरीद लिया गया है। 'गुप्त रुप से पेड़'न्यूज (रिश्वत)विज्ञापन द्वारा पत्रकारों को खरीद लिया गया है और उपभोक्तावाद और अश्लीलता के प्रचार से उन्हें ज्यादा लाभ मिल रहा है। उन्होंने निष्पक्षता ,सच्चाई ,और देशभक्ति को हमेशा के लिये त्याग दिया है। 'प्रचार तंत्र का काम अखबार मे सत्ता के लिये झूठे समाचार गढ़ने ,उसकी तारोफ में प्रचार सामग्री छापने और जनता के समाचारों को प्रकाशित होने से रोकन मे होता है।

(5)इन्ही परिस्थितियों में 'वालमार्ट'घोटाला काण्ड हुआ है। अर्थात वालमार्ट ने रिश्वत देकर उन सभी मंत्रियों और सांसदो को खरीद लिया था जो लोकसभा और राज्यसभा के अल्पमत को बहुमत में बदल सके । खुद मनमोहन सिंह की सरकार भारी हंगामें के बीच यह घोषणा करने को मजबूर हुई थी कि फुटकर (खुदरा)व्याापार का भीमकाय विश्व खिलाड़ी वालमार्ट द्वारा भारतीय बाजार का रास्ता खुलवाने के लिये पैसा खिलाये जाने के आरोंपो ंकी जॉच करायी जायेगी ।

वालमार्ट 'घोटाला काण्ड' का भण्ड़ाफोड़ तथ्यों की रोशनी में सामने आता है।

(क)–समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट बदलती हैकि अमेरिकी सिनेट के सामने पेश हुये विवरणो के ही अनुसार फुटकर व्यापार के उस मगरमच्छ ने पिछले चार वर्षो में ही लाबिंग करने की अपनी गतिविधियों पर 125करोड़ रुपये खर्च किये है। इनमें से कुछ रुपया भारत के फुटकर व्यापार खुलवाने के लिये लॉबी पर भी खर्च किया गया है। ताकि प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश भारत के विविध फुटकर व्यापार में किया जा सके। जॉच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि कितना धन भारत में रिश्वत के रुप में दिया गया है। वालमार्ट का अनुमान है कि भारत का फुटकर व्यापार 500 अरब डालर का है। यह 2020 तक दस खरब डालर से अधिक हो जाने वाला है। सरकार ने दबाव में जिस जॉच का आदेश दिया हैउसके लिये दोंनों सदनो की कार्यवाही को विरोधी दलों ने रोक लिया था और उसके दबाव में जॉच का आदेश दिया गया है ।

(ख)–इस जॉच की घोषणा के पहले भी वालमार्ट ने रिश्वत घोटाला काण्ड़ भारत की जमीन पर करना शुरु कर दिया था। इससे पहले भी वाणिज्य मंत्रालय ने रिजर्ब बैंक ऑफ इण्डिया कों यह जॉच करने का निर्देश दिया था कि वालमार्ट ने क्या भारत में अपनी साझेदारी वाली भारती इन्टरप्राइजेज के स्वामित्व वाली सुविधा स्टोंरो की श्रृखला में चोरी छिपे तथा अवैध तरीके से दस करोड़ डालर का निवेश किया था। जिससे वालमार्ट को उक्त सयुक्त उद्यम में बिना भारत सरकार को सूचना दिये ही या केन्द्रीय सरकार की अनुमति के पहले ही 49प्रतिशत हिस्सा की पूॅजी शामिल हो गयी थी। इस समय भारतीय रिटेल नाम की कंपनी हमारे देश के बाहर राज्यों में 186 विविध फुटकर क्षेत्र में महास्टोर चला रही है। इसमे वालमार्ट ने मार्च2010तक ही दस करोंड़ डालर लगा दिया था। जब कि 14 सितंम्बर 2012 को केन्द्रीय सरकार अनुमति का आदेश देती है। उस समय के हिसाब से दस करोड़ का मूल्य 455 करोड़ रुपये थे। जो 4,5 अरब रुपये से अधिक हुआ। इस संबंध में कहॉ–कहॉ, किसको–किसको वालमार्ट ने रिश्वत दिया, यह किसी को भी पता नही हैकिन्तु जो 10 करोंड़ डालर की पुॅजी लग गई है,उसका पता चल सकता है। इस अवैध तरीके से लगाये गये धन से ही भारती रिटेल के लिये खोले गये स्टोर्स की संख्या ,जो 2009 के 31 दिसम्बर तक 43थे वह बढ़कर 2011 के 31 दिसम्बर तक 173 हो गई थी ।इस दौरान कारोबार 8 गुना बढ़गया था।

जा पूॅजी 2009 में 132 करोड़ रुपये थी वह बढकर एक हजार तेइस करोड रूपया तक पहुॅच गयी थी । इसी बीच 12 दिसम्बर 2012 को इण्डियन एक्सप्रेस ने समाचार छापा था कि वालमार्ट ने जिस फर्म की मदद से भारत में अपनी लाबी खड़ी की थी उसम 'पैटन बाग्स'नाम की फार्म भी थी जिसने 2008 में भारत –अमेरिकी परमाणु करार सौदें को कराने के लिये भारतीय दूतावास की ओर से अमेरिकी सरकार में पैरवी करने का जिम्मा सॅभाला था। 'पैटन बाग्स' की बेबसाइट का दावा है। कि हमने भारत –अमेरिका व्यापार परिषद (यु0एस0आई0बी0सी0) के लिय भारत –अमेरिकी असैनिक नाभिकोय समझौते के लिये भी पहल के लिये झण्डा उठाया था। जिसके फलस्वरुप अमेरिकी कांग्रेस ने 2006 में हेंनरी हाइट के शान्तिपुर्ण एटमी उर्जा कानून को पारित किया था। 2008 में मील के पत्थर बने भारत –अमेरिका नाभिकीय समझौते पर हस्ताक्षर हुये थे । भारत के पक्ष के लिये अपनी पैरवी के लिये पैटन बाग्स भारत सरकार के शीर्षस्थ स्तर तक के लोगों से रिश्ते रखती है। जिसके साथ हम मिलजुल कर काम करते है।

मजे की बात यह है कि 2009 में मार्च के बाद अमेरिकी राजदूत फैक वाइजनर भी इस फार्म के साथ जुड़ गये थे। जिनके संबंध तमाम मंत्रियों ,अधिकारियों और सांसदो से रहे है।

सन्दर्भ स्रोत–पहला अभियान,इडिण्यन एक्सप्रेस

22फरवरी 2013   0आचार्य पंकज